



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 24.01.2023

थाना बडौत पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 61/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई एक मो0सा0 व एक मोबाइल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.01.23 को थाना बडौत पर वादी श्री अभिषेक पुत्र भोपाल निवासी ग्राम मितली थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 20.01.23 को अज्ञात चोरों ने उसके मामा के लडके सागर पुत्र रविन्द्र निवासी गसायरी उर्फ गांधी की मो0सा0 पल्सर नं0



DL-10AC-0439 व मो0सा0 पर रखे बैग जिसमें 02 मोबाइल, 6600 रूपये, पर्स, चार्जर व पावर बैंक को चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 61/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 61/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई एक मो0सा0 पल्सर नं0 DL-10AC-0439 तथा चोरी का एक मोबाइल फोन वन प्लस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 20.01.23 की शाम को समय करीब 7.30 बजे हम दोनों ने हमारे साथियों 1.मोईन पुत्र मुमताज निवासी ग्राम इदरीशपुर, 2.नवनीत पुत्र शिवकुमार, 3.आरिश पुत्र यासीन तेली निवासीगण ग्राम औसिक्का थाना बडौत के साथ मिलकर औसिक्का से दौजा गांव जाने वाले मार्ग पर नहर पटरी के किनारे खडी मोटर साईकिल पल्सर व मोटर साईकिल पर रखा बैग चोरी करके ले गये थे तथा दिनांक 19.12.22 को शाम के समय बुढेडा नहर पुलिया के पास हमने 02 महिलाओं से उनके कुन्डल व बाली छीने थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- आदिल पुत्र सुबेदीन निवासी ग्राम औसिक्का थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-सूरज पुत्र रामफूल निवासी इदरीशपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई एक मो0सा0 पल्सर नं0 DL-10AC-0439
- चोरी का एक मोबाइल वन प्लस ।

गिरफ्तारी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 61/23 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 323/22 धारा 392 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत ।
- 2-उ0नि0 कृपेन्द्र सिंह थाना बडौत ।
- 3-है0का0 120 मनोज कुमार थाना बडौत ।
- 4-है0का0 468 कुलदीप देशवाल थाना बडौत ।
- 5-का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत ।
- 6-सर्विलांश टीम बागपत थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 24.01.2023

थाना बडौत पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वरुण पुत्र बाबूराम के नवयुग कालोनी कस्बा बडौत में स्थित मकान कीमत लगभग 12.82 लाख रुपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 24.01.2023 को थाना बडौत पुलिस द्वारा थाना बडौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1203/16 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त वरुण पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत हाल पता नवयुग कालोनी कस्बा व थाना बडौत के नवयुग कालोनी में स्थित रिहायसी भूमि 129.52 वर्ग मीटर पर बने मकान



कीमत लगभग 12.82 लाख रुपये को कुर्क किया गया है तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी बडौत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है । अभियुक्त वरुण शातिर प्रवृत्ति का अपराधी है, जिसके विरुद्ध चोरी, हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट आदि के 23 अभियोग दर्ज है ।

अभियुक्त वरुण पुत्र बाबूराम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 1116/10 धारा 323/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- मु0अ0सं0 1125/10 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- मु0अ0सं0 1225/10 धारा 307/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4- मु0अ0सं0 114/11 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5- मु0अ0सं0 386/14 धारा 342/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6- मु0अ0सं0 203/14 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7- मु0अ0सं0 1116/16 धारा 323/504/506 भादवि सिटी कोतवाली सोनीपत हरियाणा
- 8- मु0अ0सं0 620/15 धारा 147/148/149/323/307/452/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 9- मु0अ0सं0 1007/15 धारा 147/323/504/506/307 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

- 10- मु0अ0सं0 1045/15 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 11- मु0अ0सं0 706/15 धारा 2/25/27 आयुध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 12- मु0अ0सं0 723/16 धारा 302/201 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 13- मु0अ0सं0 1029/16 धारा 323/504/506 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 14- मु0अ0सं0 1203/16 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 15- मु0अ0सं0 1317/17 धारा 307/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 16- मु0अ0सं0 1359/17 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 17- मु0अ0सं0 1228/18 धारा 504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 18- मु0अ0सं0 36/19 धारा 452/323/307/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 19- मु0अ0सं0 37/19 धारा 307 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 20- मु0अ0सं0 38/19 धारा 307 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 21- मु0अ0सं0 39/19 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 22- मु0अ0सं0 210/19 धारा 386/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 23- मु0अ0सं0 1080/20 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक –24.01.2023

थाना छपरौली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियों में मारपीट करने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर एक वीडियों वायरल हुई जिसमें कुछ व्यक्तियों व महिलाओं द्वारा आपस में मारपीट की गई । थाना छपरौली पुलिस द्वारा वायरल वीडियों का संज्ञान लिया गया एवं मारपीट करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया गया तथा थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 20/2023 धारा 352/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 20/23 धारा 352/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित मारपीट करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रदीप पुत्र धर्मपाल निवासी पावटी थाना समालखा जनपद पानीपत, हरियाणा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री उमेश कुमार सिंह थाना छपरौली ।

2-है0का0 411 नीटू सिंह थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 24.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 68/23 धारा 341/354/504/506/323 भादवि व 7/8 पोस्को एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 68/23 धारा 341/354/504/506/323 भादवि व 7/8 पोस्को एक्ट से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

कमल पुत्र अनिल निवासी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 विकुल कुमार थाना बडौत ।
- 2- है0का0 410 राजवीर सिंह थाना बडौत ।
- 3-का0 1070 नरेश कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 24.01.2023

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 08/23 धारा 363/342/376/506 भादवि व 3/4(1) पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 08/23 धारा 363/342/376/506 भादवि व 3/4(1) पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को थाना छपरौली पुलिस द्वारा दिनांक 08-01-2023 को बरामद किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विशाल पुत्र बुद्धराम निवासी ग्राम ककोर खुर्द थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री नितिन पाण्डेय थाना छपरौली।
- 2-उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना छपरौली ।
- 3-है0का0 526 मनीष कुमार थाना छपरौली ।
- 4-का0 340 मोहित कुमार थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 24-01-2023

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 192/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक मोबाइल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.07.2022 को थाना दोघट पर वादी श्री विजय कुमार पुत्र सत्यदेव निवासी घोगा नरेला दिल्ली-39 ने सूचना दी कि दिनांक 24.07.2022 को अज्ञात अभियुक्त द्वारा भड़ल के पास लगे शिविर से उसका मोबाइल और 40,000 रुपये चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 192/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 192/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी का बरामद हुआ है ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अक्षय कुमार पुत्र अटल बिहारी निवासी मुकदुमपुर चुम्मा थाना अजगेन जनपद उन्नाव ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ एक मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री दलवीर सिंह ।
- 2-है०का० 112 तेजवीर सिंह ।
- 3-है०का० 83 धर्मपाल सिंह ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 24.01.2023

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

संजय पुत्र हरख्याल निवासी ग्राम रहतना थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री नकुल राठी थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-का० 951 पिताम्बर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनांक 24.01.2023

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 384/22 धारा 324/307 भादवि में वांछित
01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 05/09/2022 को थाना खेकडा पर वादी सतपाल पुत्र श्री जुमलकिशोर निवासी मौहल्ला विजयनगर कस्बा व थाना खेकडा ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.निकेन्द्र पुत्र पप्पे, 2.चांदवीर उर्फ लाला पुत्र चन्द्रपाल, 3.दीपक व 4. काला



उर्फ विक्रान्त निवासीगण मौहल्ला विजयनगर कस्बा व थाना खेकडा द्वारा उसके पुत्र पंकज पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला किया जिससे उसका पुत्र गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 384/22 धारा 324/307 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 384/22 धारा 324/307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना खेकडा पुलिस द्वारा पूर्व में 02 अभियुक्तों निकेन्द्र व चाँदवीर उर्फ लाला को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

काला उर्फ विक्रान्त पुत्र गुरुबचन निवासी मौहल्ला विजयनगर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना खेकडा ।
- 2-है0का0 292 सिराज खाँ थाना खेकडा ।
- 3-है0का0 226 धर्मेन्द्र थाना खेकडा ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 24.01.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्ता का नाम व पता-

1-एक महिला ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर ।
2. है0 का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर ।
- 3.म0का0 840 नीरज पुन्ढीर थाना सिंघावली अहीर ।